सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 22/17 निर्णय दिनांकः– 16.03.2018

1. भिराई पत्नी पीरण खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 7 एएम शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. श्रीमती खानो पत्नि श्री गायड़ खॉ जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. अलादिता
3. कायम खॉ | पिसरान गायड़ खॉ
4. मु. नाता
5. पिरण खॉ
6. सफी खॉ | पिसरान गुलमन्द
7. ताजु खॉ

जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 54/17

1. जुम्मे खॉ पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी चक 5 ए.एम. शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–बनाम–

1. श्रीमती खानो पत्नि श्री गायड़ खॉ जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

2. अलादिता
3. कायम खॉ — पिसरान गायड़ खॉ
4. मु. नाता
5. पिरण खॉ
6. सफी खॉ — पिसरान गुलमन्द
7. ताजु खॉ
8. श्रीमती भिराई पत्नि श्री पीरण खॉ
   जाति मुसलमान निवासी शैरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

अपीलें विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 22/17
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 54/17
3. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2017 जिसके द्वारा अपीलांट की विशेष आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक—एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील संख्या 22/17 में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को विशेष आवंटन के तहत तहसील कोलायत के चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 में किला नम्बर 3 ता 7, 10 ता 24 में 20 बीघा भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष आवंटन में दिनांक 10—11—2006 को किमतन राशि 2,40,000/— में आवंटित किये जाने पर अपीलांट द्वारा आवंटनशुदा भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर दिनांक 01—12—2006 को आवंटन पट्टा भी प्राप्त कर लिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज होकर तमाम किश्तें खजानाराज में जमा करवाई जाकर दिनांक 18—09—2013 को उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की ली गई है। इस प्रकार अपीलांट उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। अदालत मातहत को यह कतई अधिकार नहीं था कि वे विशेष आवंटन के गजट की भूमि को गजट से बाहर किये बिना अन्य के नाम करें क्योंकि विशेष आवंटन के गजट की भूमि गजट से डिनोटिफाईड करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 13—04—2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जवाब दावा जो पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है उसको रिकार्ड पर लेकर मुताबिक जवाब दावा पुनः तनकीयात्

कायम कर वादीगण की साक्ष्य लेकर एवं प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण करें। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24—04—2017 को पेशी निर्धारित की गई। तत्पश्चात् अपीलांट/प्रतिवादीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं आदेश 26 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 14—06—2017 वास्ते जवाब निर्धारित की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये दिनांक 14—06—2017 को तथाकथित रूप से कैम्प कोर्ट संतोष नगर बताकर अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी भूमि में से काटकर रेस्पोडेन्ट के नाम सीधे ही दर्ज किये जाने के आदेश व डिक्री पारित कर दिये गये। अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई संबंध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 420/32 की भूमि बाबत् वाद पेश किया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2058 में रेस्पोडेन्ट/वादीगण का नाम बतौर गैर खतेदार दर्ज हैं जोकि मुताबिक सूची नम्बर चार अपीलांट की भूमि चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 में 1 बीघा पैमूद हुई। जबकि अपीलांट की खातेदारी भूमि का मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 खसरा नम्बर 322 से बने है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये, केवल मात्र यह लिखने मात्र से की बन्दोबस्ती भूमि है से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा न तो कोई तनकी कायम की गई ना ही कोई साक्ष्य ली गई व नाही

अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश व डिक्री पारित कर दिया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण के अधिवक्ता स्वयं लोक अदालत कमेटी के सदस्य थे और स्वयं ने ही वकील बनकर पैरवी कर लोक अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। कानूनन लोक अदालत के सदस्य को अपने स्वयं के वाद में फैसला करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा लोक अदालत के कोई नोटिस अपीलांट को कैम्प संतोष नगर के बाबत् प्रेषित नहीं किये गये। जबकि लोक अदालत में किसी भी पत्रावली को निर्धारित किये जाने के नोटिस दिये जाने अपरिहार्य है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली नियत दिनांक को दावे की तनकीयात व प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु निर्धारित थी। अदालत मातहत द्वारा एक ही दिन में बिना कोई तनकीयात कायम किये बिना कोई शहादत लिये दावा डिक्री कर दिया गया जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने व आदेश व डिक्री षडयंत्र से ग्रसित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट II पेज 763, आरएलडब्ल्यू 2015 पार्ट II पेज 1396, आरआरडी 1977 पेज 668, आरआरडी 2013 पेज 543, सीसीसी 2003 एचसी पेज 77, आरबीजे 2001 एचसी पेज 351 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 54/17 में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को स्मालपेच के तहत आंवटन दिनांक 13—05—2008 को चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/4 के किला नम्बर 7, 8 में 2 बीघा एवं 74/12 में किला नम्बर 18 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 3 बीघा भूमि आवंटित की गई। आवंटन पश्चात् अपीलांट ने तमाम राशि जमा करवाई जाकर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया एवं रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज हो चुका है। मौके पर अपीलांट ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की रिकार्डेड भूमि में से मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 की 1 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया गया व ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब दावा प्रस्तुत किया गया था तत्समय अपीलांट का आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अमल—दरामद हो चुकी थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही आदेश व डिक्री पारित कर दिया गया। इसप्रकार अदालत मातहत का आदेश शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें 1 बीघा भूमि चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 का एवं उक्त भूमि हमारी भूमि में से 7—8 मुरब्बा दूर दूसरे चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 में किला नम्बर 3 बाबत् दावा प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। अदालत मातहत

द्वारा अपीलांट की रिकार्डेड भूमि में से भूमि काटकर रेस्पोडेन्ट के नाम सीधे दर्ज करने का आदेश प्रदान कर कानूनी भूल कारित की है। जबकि रेस्पोडेन्ट का अपीलांट की भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत द्वारा खसरा नम्बर 420/32 की 25 बीघा भूमि बाबत् दावा प्रस्तुत किया गया है कि खसरा गिरदावरी में उक्त खसरा नम्बर का तीन साला अंकन है जोकि अपीलांट की भूमि चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 खसरा नम्बर 322 के मुताबिक सूची नम्बर चार से बना है। जबकि अपीलांट की भूमि से इसका कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि उक्त खसरा नम्बरान् से मुरब्बा नम्बर 74/12 पैमूद हुए हो। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट/वादी के मौखिक कथन मात्र से उसे वादगत् भूमि के संबंध में कोई अधिकार हासिल नहीं होते है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने तकनीकी पहलू पर बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये आदेश व डिक्री जैर अपील पारित किये गये है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की रिकार्डेड भूमि चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 की भूमि सीधे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये है जबकि अपीलांट हितबद्व व आवश्यक पक्षकार था। रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अपीलांट का जानबूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अदालत मातहत का तमाम कृत्य कानून की समस्त प्रक्रियाओं को ताक पर रखते हुए मात्र

रेस्पोडेन्ट/वादीगण को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से किया गया है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि होने व राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा होने से बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये ही रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई, बिना नोटिस दिये एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को कण्डोन किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण के पूर्वज गुलाबखॉं के नाम ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 420/32 में 25 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त दर्ज है। उपरोक्त भूमि चकबन्दी आने पर चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 में 1 बीघा व चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 में 1 बीघा भूमि पैमूद हुई। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2058 तक वादीगण/रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट/वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2059 तैयार करते हुए हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर आराजी मुतनाजा को आराजीराज दर्ज कर दिया गया।

उक्त भूमि आराजीराज दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। उक्त आवंटन विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया। वाद के प्रति उत्तर में स्टेट की तरफ से जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी चक 7 ए.म. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 तादादी 1 बीघा मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत् 2056 से 2059 में गायड़ खॉ, पीरण खॉ, ताजू खॉ, सफीखॉ पिसरान गुलाम खॉ जाति मुसलमान के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। खसरा गिरदावरी सवंत् 2060 से 2063 में उपरोक्त भूमि आराजीराज दर्ज होने से उक्त भूमि अपीलांट भिराई पत्नि पीरू खॉ को जरिये विशेष आवंटन की जाकर इंतकाल संख्या 84 दिनांक 18—01—2007 दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा भूमि खसरा गिरदावरी सवंत् 2059 से 2062 में गायड़ खॉ वगैरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि सवंत् 2063 से 2066 में आराजी राज दर्ज किया गया। सूची नम्बर 4 के अनुसार यह रकबा गायड़ खॉ वगैरा की गैर खातेदारी दर्ज है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दावा दायर करने के उपरान्त नियमानुसार अपीलांट/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को दिनांक 08—04—2011 को उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अदालत मातहत के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं आये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर स्टेट के जवाब हेतु निर्धारित चलती रही है। इस दरमियान भी अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये।

तत्पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष स्टेट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाबदावें में स्टेट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादगत् भूमि संवत 2025 से 2028 व सवंत् 2063 से 2066 गायड़ खॉ वगैरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि संवत् 2060 से 2063 में आराजीराज दर्ज होने पर भिराई पत्नी पीरूखॉ के नाम से आवंटित होकर रिकार्ड में दर्ज है। उक्त जवाबदावे के आधार पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तनकीयात कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 आयाकि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है? (वादीगण)।

तनकी सख्या 2 आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है?(वादीगण)। तनकी संख्या 3 आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण कर भूमि नहीं है? (प्रतिवादी संख्या 2)। तदुपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 05—05—2014 को निर्धारित की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि दिनांक 30—07—2014 को अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01—07—2015 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए जवाह हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा क्रमशः दिनांक 27—07—2015, 28—08—2015 व 30—11—2015 को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली दिनांक 10—12—2015 को क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को हस्तान्तरित की गई। पत्रावली हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 01—12—2016 को वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित आये व

पत्रावली दिनांक 26—12—2016 को बहस हेतु निर्धारित चल रही थी। तत्पश्चात् दिनांक 30—03—17 को प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से वकालतनामा परिवर्तन करते हुए श्री राजेन्द्र गहलोत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30—03—17 को प्रस्तुत जवाब दावे को रिकार्ड पर लेकर मिसल बहस में रख दी गई जबकि मिसल कायमी तनकी रखनी चाहिए थी। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20—04—17 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व आदेश 26 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा येन—केन—प्रकारेण प्रकरण में निर्णय को डिले करने का कथित प्रयास किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जवाब, साक्ष्य गवाह सबूत प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई कार्यवाही अदालत मातहत के समक्ष नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण की गैरखातेदारी भूमि मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। वादगत् भूमि में रिकार्ड में परिवर्तन का कारण मात्र हल्का पटवारी की गलती से रहा है। चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 व चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा की भूमि कभी भी गजट में प्रकाशित नहीं रही है ना ही गजट में शुद्धिकरण हुआ है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रकिया को अपनाते हुए नियमानुसार राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट/वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपीले खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 269, आरएलडब्ल्यू 2014 पार्ट I पेज 185 व आरआरडी 2001 पेज 213 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 14—06—2017 के विरूद्व अपीलें क्रमशः दिनांक 11—08—2017 व 01—09—2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपीलें अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 व चक 7 ए.एम. मुरब्बा नम्बर 54/51 किला नम्बर 3 रकबा 2 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार

किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपीलें अपीलांट्स द्वारा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन के गजट में होने पर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर दिनांक 10—11—2006 को कीमतन राशि 2,40,000/—रूपये में आवंटित की गई तथा अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत जमा कराने पर दिनांक 01—12—2006 को आवंटन पट्टा प्राप्त कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर तमाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो चुका है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा तत्पश्चात् तमाम बकाया राशि जमा करवाई जाकर दिनांक 18—09—2013 को वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादीगण वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

(4) रेस्पोडेन्ट/वाददीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पूर्वज गुलामखॉ के नाम ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 420/32 में 25 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्त दर्ज चली आ रही थी तथा गुलाम खॉ के देहान्त के उपरान्त उक्त भूमि विरासतन गैर खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी आने पर चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 में किला नम्बर 18 में 1 बीघा एवं चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 में किला नम्बर 3 में 1 बीघा के रूप में पैमूद हुई। जो राजस्व रिकार्ड में खसरा गिरदावरी संवत् 2058 तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

(5) हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व पत्रावली में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जहॉ तक प्रकरण में अपीलांट का मामलें में तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में कथन है कि उन्हें अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई, सबूत, साक्ष्य व गवाहान् आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिकों के अवलोकन करने मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दावा दायर करने के उपरान्त नियमानुसार अपीलांट/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को दिनांक 08—04—2011 को उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा उनके विरूद्व विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही की गई।

(6) तत्पश्चात् अपीलांट/प्रतिवादीगण दिनांक 30—07—2014 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वकालतनामा मय आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 01—07—2015 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा क्रमशः दिनांक 27—07—2015, 28—08—2015 व 30—11—2015 को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली दिनांक 10—12—2015 को क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को हस्तान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 01—12—2016 को वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित आये व पत्रावली दिनांक

26—12—2016 को बहस हेतु निर्धारित चल रही थी। तत्पश्चात् दिनांक 30—03—17 को प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से वकालतनामा परिवर्तन करते हुए श्री राजेन्द्र गहलोत ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30—03—17 को प्रस्तुत जवाब दावे को रिकार्ड पर लेकर मिसल पर पुनः तनकी हेतु निर्धारित की जावे। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20—04—17 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व आदेश 26 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 26 नियम 10 ए सीपीसी को मात्र न्याय में देरी करने की मंशा से प्रस्तुत किये जाने साबित होने पर खारिज किये गये है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर प्रतिपेशी उपस्थित रहे हैं तथा अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में की जा रही तमाम कार्यवाही की उन्हें सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध थी। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में येन—केन—प्रकारेण विलम्ब किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रतिवादीगण का यह कथन कि उन्हें अदालत मातहत के समक्ष सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः अपीलांट की दौराने बहस उठाई गई यह आपत्ति खारिज की जाती है।

(7) जहाँ तक प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने पर मामलें की

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व स्टेट के जवाब दावे के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात् वादगत् मूल दावे की आत्मा के पोषण व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व वादग्रस्त भूमि के अपीलांट को वादगत् भूमि के विशेष आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए कायम की गई है।

(8) अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत दावे में तनकी संख्या 1 कायम की गई, आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है?

इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 ग्राम शेरूवाला के खाता संख्या 32/35 में विवादित खसरा नम्बर 322 तादादी 84.11 बीघा भूमि गुलाम खॉ पुत्र बड़णखॉ के नाम गैर खातेदारी दर्ज जो सूची नम्बर 4 अनुसार वर्तमान में चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 तादादी 1 बीघा, चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा इसी खसरे से कायम हुए है। मुताबिक रिकार्ड चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 तादादी 1 बीघा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056 से 2059 में गायड़खॉ, पीरण खॉ, ताजूखॉ, सफी खॉ पिसरान गुलाम खॉ के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर गिरदावरी संवत् 2060 से 2063 में आराजी राज दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार चक 5 ए.एम. का मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा खसरा गिरदावरी सवंत् 2059 से 2062 में गायड़ खॉ वगैरा के नाम दर्जशुदा है। उक्त भूमि भी सवंत् 2063 से 2066 में आराजी राज किया गया है। उक्त तथ्य

पटवारी की रिपोर्ट से साबित है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही आराजीराज की गई है तथा उक्त तमाम कार्यवाही हल्का पटवारी की पेन मिस्टेक से हुई है। किसी सक्षम अधिकारी कोई आदेश नहीं है। उक्त तथ्य को स्टेट ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया गया है। उक्त तथ्य के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की गई है।

उक्त तनकी के संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट/वादीगण के नाम गैर खातेदारी भूमि नहीं थी तथा वादगत् भूमि बतौर विशेष आवंटन के तहत अपीलांट को आवंटित की गई है। वादग्रस्त भूमि किस आदेश के तहत आराजीराज दर्ज की गई इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् रकबा आराजीराज होकर विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित रहा हो। अतः अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित होने पर उन्हें नियमानुसार आवंटित की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त तनकी वादीगण/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की गई है।

(9) तनकी संख्या 2 आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त है? उक्त तनकी का भार वादीगण पर कायम किया गया।इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त मानते हुए उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व की गई है।

इस संबंध में अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष न ही न्यायालय हाजा के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, मौका के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की गई, जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में अदालत मातहत द्वारा कोई गलती नहीं की है।

(10) तनकी संख्या 3 आया कि वादाधीन विवादग्रस्त भूमि वादीगण की भूमि नहीं है? उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर कायम किया गया। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि हल्का पटवारी की गलती से आराजी राज दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 1 को विशेष आवंटन के तहत आवंटन हुई। वादगत् भूमि जब प्रतिवादीगण/अपीलांट को विशेष आवंटन में आवंटित की गई थी तत्समय वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित भूमि नहीं थी। उपरोक्त भूमि अपीलांट/प्रतिवादीगण को आवंटन के समय पटवारी रिपोर्ट के दिनांक 07—02—2003 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 54/51 में 19 बीघा भूमि आराजीराज अंकित है। जबकि आवंटन आदेश मुरब्बा नम्बर 54/51 में किला नम्बर 3 को जोड़कर कुल 20 बीघा भूमि कर दी गई। जिससे साबित है कि किला नम्बर 3 कभी भी विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित नहीं था व ना ही उक्त रकबे का कभी किसी प्रकार का कोई गजट शुद्विकरण किया गया है। इस प्रकार चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 जो कि कभी भी विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या/अपीलांट को गलत आवंटित होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व की गई है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा

गजट की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित किये जाने की तिथि को विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में साबित करने में कोई भूल नहीं की गई है।

(11) प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित थी अथवा नहीं? इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट की विशेष आवंटन की पत्रावली अनुसार अपीलांट द्वारा चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/61 तथा 54/59 की भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 14—06—1995 को पेश किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा मुरब्बा नम्बर 54/59 की भूमि आवंटित कर दी गई तथा मुरब्बा नम्बर 54/61 की भूमि गजट में प्रकाशित नहीं होने से उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया। उक्त भूमि के बाबत् तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई कि क्या मुरब्बा नम्बर 54/51 की जगह मुरब्बा रनम्बर 54/61 लिखा गया है। इस संबंध में तहसील रिपोर्ट दिनांक 09—01—2008 के अनुसार गजट में मुरब्बा नम्बर 54/51 की जगह सहवन से मुरब्बा नम्बर 54/61 लिखा गया। गजट का शुद्विकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट के विशेष आवंटन की पत्रावली में आज दिनांक तक गजट शुद्विकरण नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट ने नई पत्रावली मुरब्बा नम्बर 54/51 के विशेष आवंटन हेतु दिनांक 31—03—2006 को प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10—11—2006 को उपरोक्त भूमि अपीलांट को आवंटित कर दी गई। उक्त आवंटन में दिनांक 29—01—2001 के गजट का हवाला दिया गया है जबकि गजट दिनांक 29—01—2001 में उपरोक्त रकबा प्रकाशित ही नहीं है। उक्त भूमि पटवारी हल्का की गलती के कारण मुरब्बा नम्बर 54/51 में कुल 20 बीघा

भूमि अंकित की गई है जबकि मुरब्बा नम्बर 54/51 का किला नम्बर 3 कभी भी विशेष आवंटन गजट में प्रकाशित नहीं था। इस प्रकार बिना किसी आधार के उक्त भूमि का विशेष आवंटन अपीलांट को किया जाना साबित है।

(12) मामलें में वादगत् भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आराजीराज दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण की गैरखातेदारी भूमि दस्तावेजी रिकार्ड व सबूत से साबित है। प्रकरण में विवाद उत्पन्न होने का एक मात्र कारण हल्का पटवारी की गलती रही है। जिसका खामियाजा रेस्पोडेन्ट/वादीगण को नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्ततु नजीर 2015 सीटी पार्ट I पेज 269 एससी सिविल रिट पिटिशन नं. 1720/1984 में अभिनिर्धारित किया गया है किः—

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 88- Suit for declaration as Gair Khatedar of the land decreed- Gair Khatedar is a statutory tenant and suit is maintaiable - State not made party in the suit - plea not maintainable at this state - Allotement order was void ab initio and not required to be set aside - Concurrent findings of Lower Courts- Held, Petition is dismissed.मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन को खारिज करने में कोई त्रूटि नहीं की है।

(13) प्रकरण में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट/वादीगण को वादगत् भूमि का गैरखातेदार धोषित किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में

अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तनकी कायम करते हुए व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य के आधार पर पाया कि विवादित भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015 ग्राम शेरूवाला के खाता संख्या 32/25 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 322 तादादी 80.11 बीघा भूमि गुलामखॉ पुत्र बड़णखॉ के नाम गैर खातेदार दर्ज है जो सूची नम्बर 4 के अनुसार वर्तमान में चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 तादादी 1 बीघा, चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा इसी खसरे से कायम हुए है। मुताबिक रिकार्ड चक 7 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 54/51 के किला नम्बर 3 तादादी 1 बीघा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056 से 2059 में गायड़खॉ, पीरण खॉ, ताजूखॉ, सफी खॉ पिसरान गुलाम खॉ के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर गिरदावरी संवत् 2060 से 2063 में आराजी राज दर्ज किया गया है।

(14) इसी प्रकार चक 5 ए.एम. का मुरब्बा नम्बर 74/12 के किला नम्बर 18 तादादी 1 बीघा खसरा गिरदावरी सवंत् 2059 से 2062 में गायड़ खॉ वगैरा के नाम दर्जशुदा है। उक्त भूमि भी सवंत् 2063 से 2066 में आराजी राज किया गया है। उक्त तमाम स्थिति तत्समय राजस्व कर्मचारियों की अवधानता व लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है। वादगत् भूमि कभी भी विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित नहीं था ना ही गजट में इस आशय का कभी शुद्विकरण किया गया है।

अपीलांट गलत आवंटन के आधार पर वादगत् भूमि पर अपना अधिकार प्राप्त करने के अधिकारिणी नहीं है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है तथा वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी आदि में

रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के नाम गैरखातेदार दर्ज रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण को वादगत् भूमि का गैर खातेदार धोषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्तविवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—06—2017 उपखण्ड अधिकारी, कोलायत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.03.201 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर